उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-81/2017/789/92-2-2017-98जॉच/2015

लखनऊ :: दिनांक:: 25 मई, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

श्री राशिमणि मिश्रा, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजीपुर एवं श्री आर0सी0 मौर्या, तत्कालीन अधिशासी अभियंता (सेवानिवृत्त) के विरूद्व शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 01-08-2016 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में 04 माह विलम्ब से आरोप पत्र उपलब्ध कराये जाने में की गयी घोर लापरवाही/अनुशासनहीनता आदि अनियमितता हेतु शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-68/2017/489/92-2-17/98जांच/2015 दिनांक 09-05-17 द्वारा निलम्बित श्री के0सी0 श्रीवास्तव, तत्कालीन प्रभारी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-वाराणसी सम्प्रति सम्बद्व कार्यालय निदेशक एंव मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु मुख्य अभियंता(पू0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या दो प्रतियों में) एक माह में शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-81/2017/789(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र सं0-जी-1381/ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/695-अनु0कार्य0/16-17 दि0 16-03-2017 एवं शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-68/2017/489/92-2-17-98जांच/15 दिनांक 09-05-2017 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि श्री के0सी0 श्रीवास्तव, तत्का0 प्रभारी अधीक्षण अभियंता,ग्रा0अभि0वि0, परिमण्डल-वाराणसी सम्प्रति अधिशासी अभियंता, प्रखण्ड-श्रावस्ती के विरूद्व आरोप पत्र गठित कर साक्ष्यों सहित शासन को (दो प्रतियों में) 01 सप्ताह में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2- जॉच अधिकारी/मुख्य अभियंता,(पू0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लख्नऊ।

3- श्री के0सी0श्रीवास्तव, तत्का0 प्रभारी अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अभि0वि0,परि0-वाराणसी सम्प्रति निलम्बित द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता,ग्रा0अभि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ।

4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in